संख्या-03/2026/38/क0नि0प्र0/26-3-2026-1672195

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊःदिनांकः 05 फरवरी, 2026
समाज कल्याण विभाग

विषयः- सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु के फलस्वरूप दिए जाने वाले मुआवजा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-01/2026/477/ क0नि0प्र0/ 26-3-2025-1672195दिनांक 05 जनवरी,2026 (प्रति संलग्न)का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013 कीविभिन्न धाराओं के प्राविधानोंव संगत नियमों का प्रचार-प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने, ऐक्ट के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही के साथ ही विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/ निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चितकराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-59/पी.एस.एम.एस./एस.ओ./2026 दिनांक 30 जनवरी,2026(प्रति संलग्न) द्वारा सुश्री योगिता स्वरूप, सीनियर इकॉनामिक एडवाइजर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2026(प्रति संलग्न)का संदर्भ देते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 एवं दिनांक 20 जनवरी,2026 के अनुपालन में नियत समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में अवगत कराना है कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित **Writ Petition (Civil) No. 324/2020 Dr. Balram Singh Vs. Union of India** में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के दिनांक **20** अक्टूबर, **2023** द्वारा सीवर डेथ के प्रकरणों में मुआवजे की धनराशि रू0 30.00 लाख मात्र निर्धारित की गयी थी, परन्तु विभिन्न मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा विविधतापूर्ण मत व्यक्त किये जाने के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल इन्टरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक **20** जनवरी, **2026**पारित किया गया है, जिसके मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

> **"(i) It is made clear that insofar as the compensation ordered, determined and paid namely, Rupees Ten Lakhs to the legal representatives of the victim as on date of judgment viz., 20.10.2023, such cases or claims would not be reopened.**
>
> **(ii) In case, the sewer death having taken place even prior to this Court order dated 20.10.2023 if compensation has not been paid or determined as on the date of the judgment, i.e., 20.10.2023, the concerned States or municipal authorities would be required to pay a sum of Rupees Thirty Lakhs to such of those claimants.**
>
> **(iii) In the event of compensation having not been determined or paid in respect of deaths having occurred prior to our judgment dated 20.10.2023, the concerned would be liable and required to pay compensation of Rupees Thirty Lakhs to such of the claimants."**

4- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर,2023 एवं दिनांक 20 जनवरी,2026 के अनुपालन में सीवर डेथ के मुआवजे से संबंधित लंबित मामलों में भुगतान की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

एल0 वेंकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन,नई दिल्ली।
2. सचिव,राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, बी,विंग,चतुर्थ तल,लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय एवं पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.बी-912,सेक्टर-सी,महानगर, लखनऊ।
8. समस्त उप निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार उपाध्याय
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्या: 0522-2289212, 2289296, फैक्स-2239283
email-csup@nic.in

संख्या: 57 /पी.एस.एम.एस./एस.ओ./2026
दिनांक: 30 जनवरी, 2026

अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग
प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

कृपया मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित **Writ Petition (Civil) No. 324/2020 Dr. Balram Singh Vs. Union of India** में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश **दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 व दिनांक 20 जनवरी, 2026** में निर्गत निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में सुश्री योगिता स्वरूप, सीनियर इकॉनामिक एडवाइजर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईमेल से प्रेषित पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के उपरिसन्दर्भित आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा सीवर डेथ के प्रकरणों में मुआवजे की धनराशि रूपया तीस लाख मात्र निर्धारित की गई थी परन्तु विभिन्न मा० उच्च न्यायालयों द्वारा विविधतापूर्ण मत व्यक्त किए जाने के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल इन्टरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2026 पारित किया गया है, जिसके मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैं:

"(i) It is made clear that insofar as the compensation ordered, determined and paid namely, Rupees Ten Lakhs to the legal representatives of the victim as on date of judgment viz., 20.10.2023, such cases or claims would not be reopened.
(ii) In case, the sewer death having taken place even prior to this Court order dated 20.10.2023 if compensation has not been paid or determined as on the date of the judgment, i.e., 20.10.2023, the concerned States or municipal authorities would be required to pay a sum of Rupees Thirty Lakhs to such of those claimants.
(iii) In the event of compensation having not been determined or paid in respect of deaths having occurred prior to our judgment dated 20.10.2023, the concerned would be liable and required to pay compensation of Rupees Thirty Lakhs to such of the claimants."

3. उक्त के सम्बन्ध में, मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गई है कि कृपया मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 एवं दिनांक 20 जनवरी, 2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित संलग्न पत्र की अपेक्षा के क्रम में नियत समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोक्त।

30.01.2026
(रवीन्द्र कुमार)
विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर,
मुख्य सचिव
उ० प्र० शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

YOGITA SWAROOP, IES
Sr. Economic Adviser
Tel. : +91-11-23070094
Fax : +91-11-24369838
E-mail : yogita.swaroop@gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
PANDIT DEENDAYAL ANTYODAYA BHAWAN,
C.G.O. COMPLEX, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

DO No. U-12012/1/2023-PLAN-Part(4)

Dated: 29.01.2026

Dear Sir/Madam,

As you may be aware Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 20.10.2023 in Writ Petition (Civil) No. 324 of 2020 filed by Dr. Balram Singh Vs Union of India and Ors passed a series of directions, including following, for compliance:-

> *"The court hereby directs the Union and the States to ensure that the compensation for sewer deaths is increased (given that the previous amount fixed, i.e., ₹10 lakhs) was made applicable from 1993. The current equivalent of that amount is Rs. 30 lakhs. This shall be the amount to be paid, by the concerned agency, i.e., the Union, the Union Territory or the State as the case may be. In other words, compensation for sewer deaths shall be ₹ 30 lakhs. In the event, dependents of any victim have not been paid such amount, the above amount shall be payable to them. Furthermore, this shall be the amount to be hereafter paid, as compensation".*

2. Keeping in view the divergence views expressed by different High Courts, National Legal Services Authority (NALSA) filed IA for clarification as the quantum of compensation payable. Hon'ble Court vide order dated 20.01.2026 disposed of the IA filed by NALSA with following clarification:-

i. *It is made clear that insofar as the compensation ordered, determined and paid namely, Rupees Ten Lakhs to the legal representatives of the victim as on date of judgment viz., 20.10.2023, such cases or claims would not be reopened.*
ii. *In case, the sewer death having taken place even prior to this Court order dated 20.10.2023 if compensation has not been paid or determined as on the date of the judgment, i.e., 20.10.2023, the concerned States or municipal authorities would be required to pay a sum of Rupees Thirty Lakhs to such of those claimants.*
iii. *In the event of compensation having not been determined or paid in respect of deaths having occurred prior to our judgment dated 20.10.2023, the concerned would be liable and required to pay compensation of Rupees Thirty Lakhs to such of the claimants.*

3. I shall be obliged if you kindly look into the matter personally and issue necessary directions to the concerned authorities to ensure compliance of Hon'ble Supreme Court order dated 20.10.2023 and 20.01.2026 in so far as payment of compensation to the legal heirs of deceased is concerned.

With Regards.

ACS (Social Welfare)/
PS (Urban Dev.)

Yours sincerely,

(Yogita Swaroop)

To

Chief Secretaries of all States/UTs.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

[Chiefsecretaries] DO letter reg. Hon'ble Supreme Court order dated 20.10.23 in WP (C) No. 324 of 2020 filed by Dr. Balram Singh Vs UOI & Ors for payment of compensation to the legal heirs of deceased

---

Ms Yogita Swaroop < yogita.swaroop@gov.in >

Thu, 29 Jan 2026 1:31:41 PM +0530

To "chiefsecretaries"<chiefsecretaries@lsmgr.nic.in>

Cc "R.K. Khandelwal"<secy-ncsk@gov.in>

Dear Sir/Madam (s),

Pls find attached herewith DO letter on the subject cited above for necessary action.

With Regards,

Yogita Swaroop
Sr. Economic Adviser
Department of Social Justice & Empowerment
B-2 Ground Floor,
Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, New Delhi-110003
Tel. 011-24369835

---

1 Attachment(s)

DO Letter Dated 29.01.2026.pdf
1 MB

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 01/2026/ 477 /क0नि0प्र0/26-3-2025-1672195

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव
औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव
पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2026
समाज कल्याण विभाग

विषयः- सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु/ दिव्यांगता के फलस्वरूप दिए जाने वाला मुआवजा।

महोदय,

The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 प्रदेश में लागू है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के समय-समय पर पारित आदेशों के प्रभावी अनुपालन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा पार्श्वांकित शासनादेश निर्गत करते हुए नगर विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं अन्य सम्बन्धित से कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।

1. 108/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014
2. 386/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 21 मार्च, 2014
3. 744/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 09 जून, 2014
4. 934/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 08 जुलाई, 2014
5. 540/ क0नि0प्र0/26-3-2014-5(94)/2005 दिनांक 09 सितम्बर, 2014
6. 1553/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014
7. 1629/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 05 दिसम्बर, 2014
8. 12एम0एस0/क0नि0प्र0/26-3-2018-17(47)/2017 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018
9. 1008/ क0नि0प्र0/26-3-2023- दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का समुचित अनुपालन न होने के कारण भारत सरकार द्वारा पत्र निर्गत किए गए हैं।

2- The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की धारा-7 के अन्तर्गत सीवर अथवा सैप्टिक टैंक की परिसंकटमय सफाई (Hazardous Cleaning) हेतु किसी व्यक्ति की सेवाएं लिए जाने को प्रतिबन्धित किया गया है। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 1330/KNP/ 26-3-2014-13(60)/ 2013 दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 निर्गत करते हुए दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 की तिथि से उक्त प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

समुचित आदेश निर्गत करते हुए अधिनियम, 2013 के प्राविधानों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

यह भी संज्ञान में आया है कि The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की धारा-7 के उपबन्धों का जो कोई भी उल्लंघन कर रहा है, उसके विरूद्ध धारा-9 के उपबन्धों के अनुसार जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं सम्बन्धित प्राधिकरण तथा जनपद स्तर से प्रश्नगत ऐक्ट की धारा-7 के उपबन्धों के उल्लंघन हेतु ऐक्ट की धारा-9 के उपबन्धों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

6- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की विभिन्न धाराओं के प्राविधानों व संगत नियमों का प्रचार-प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ऐक्ट के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही के साथ ही विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/ निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(एस0पी0 गोयल)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी, विंग, चतुर्थ तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय एवं पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., बी-912, सैक्टर-सी, महानगर, लखनऊ।
7. समस्त उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 05-01-2026
11:23:08

आज्ञा से,
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।